

१०/३/२०१८

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

विज्ञप्ति - काहते लेखन सामग्री स्टेशनरी कय व फार्मों की छपाई एवं
काहते लेखन सामग्री स्टेशनरी कय

सर्व साधारण को सुमित किया जाता है कि वित्तीय-वर्ष 2017-18 (दि 01.04.2017 से
००.००.३१.०३.२०१८ तक) के लिए लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, कम्पूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी
स्टेशनरी कय व काहते लेखन सामग्री विशेषज्ञान विभाग द्वारा इन रद्दियों 256, 207 एवं 212 से सम्बन्धित टोनर
को करने हेतु ००.००.२२.०६.२०१७ को ०४.०० को तक प्रतिष्ठित कम्पनी के रील्ड बन्द टेण्डर
आयोजित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय ४.०० बजे कय समिति के समक्ष लोले जायेंगे। नियत
समय के पश्चात पात्र ऐलाइंग पर कोहु विकार करी किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि रु
० ५,०००.०० रुपयोग में लगा करनी दीयी, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी
के अभ्यव अगले कार्य विकार में तापस कर दी जायेगी। सामग्रियों का विकार व टेण्डर के
प्रथम व शर्ते नियम अनुमान व जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एन०आई०सी० एवं
उस अधिकारी की वेत्राइट पर देखी जा सकती है।

(किंजोन्द कुमार शौलन)

सदरम्

कय एवं वित्त समिति/
अपर जिला एवं सन
न्यायाधीश न्यायालय राम
बाराबंकी।

(आनुदेव शर्मा)

सदरम्

कय एवं वित्त समिति/
प्रान न्यायाधीश, फैम-डी कोट,
वाराबंकी।

(जय शकेर मिश्र)

अप्र० ४/४/२०१८
कय एवं वित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०/एस०टी० एवं
वाराबंकी।

प्रतिलिपि:- विज्ञापनिकारी को अपलोड एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

१. न्यायालय की वेत्राइट पर अपलोड करने हेतु।
२. माननीय उच्च न्यायालय की वेत्राइट पर अपलोड करने हेतु।
३. जिलाधिकारी / प०-००-आई०सी० की वेत्राइट पर अपलोड करने हेतु।
४. जिला सूचना अधिकारी को निश्चल्क प्रकाशन हेतु।

महाप्रद के समर्त्त न्युछ कायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

 १. कायालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
 २. कायालय पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
 ३. कायालय ग्रन्त विकार अधिकारी वाराबंकी।
 ४. कायालय ग्रन्त विकार अधिकारी वाराबंकी।
 ५. कायालय जिला प्रान्त अधिकारी वाराबंकी।
 ६. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य सामाजिक रथानो पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।-

टेण्डर आभासित करने हेतु नियम व सर्वे-

1. समस्त सामग्री की आमृति रागवभित फर्म को पुरस्कालय/नजारत अनुगाम जजी बाराबंकी में सर्वे अपने सर्वे पर करनी होगी।

2. भूगतान ग्राम-पंचान्यायालय से अनुतान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

3. आयेदक को टेण्डर के साथ सामग्री का मूल्य उनके ब्राप्ट का नाम नमूने यदि ब्राप्ट कई पकार के हैं तो सभी पकार के नमूने एवं उन सभी का मूल्य (समस्त कर सहित) अंकित कर संलग्न करना होगा।

4. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज, बाराबंकी में निहित है, इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, बाराबंकी वाध्य नहीं होंगे।

5. किसी विवाद की विधिये में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।

6. फर्म का पंजीकरण ट्रैड ऐक्स में होगा अनिवार्य है।

(बिजेन्द्र कुमार शैलत)
सदस्य,
फर्म एवं निलासामिति/
अपर जिला एवं राज
न्यायाधीश न्यायालय रा०२,
बाराबंकी।

3/1/2017
(भानुदेव शर्मा)
सदस्य,
फर्म एवं विलासामिति/
प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट,
बाराबंकी।

(जय शक्तर मिश्र)
अध्यक्ष,
फर्म एवं विलासामिति/
विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
बाराबंकी।